राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2987 / 2024

डॉ. विपिन कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाबां (संगरिया), हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.10.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री बनवारी शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर ढाबां (संगरिया), जिला हनुमानगढ में कार्यरत था। उनका चयन NBEMS_DIPLOMA (PAEDIATRICS) कोर्स के लिए हुआ, जिसमें चयन होने के पश्चात अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाबां (संगरिया) द्वारा दिनांक 25.04.2022 को कार्यमुक्त किया गया। इसके उपरांत उक्त कोर्स का अध्ययन करने के उपरांत अपीलार्थी ने अपने उपस्थिति दिनांक 25.04.2024 को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ढाबां (संगरिया) में दी। आलोच्य आदेश दिनांक 29.04.2024 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा NBEMS_DIPLOMA (PAEDIATRICS) कोर्स में बिना सक्षम स्वीकृति के गये थे। अतः उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के पास भिजवाई जा रही है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को

कोर्स पुरा करने के पश्चात अभी तक कहीं भी कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है। अपीलार्थी को कोर्स में उपस्थिति देने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया गया था। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को स्पष्टीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस भी प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिया जा चुका है, परंतु फिर भी अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जा रहा है।

3. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं कराना उचित नहीं है। अतः इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें अपीलार्थी को इस आदेश के पारित होने के एक सप्ताह में उनके पद के विरूद्ध किसी भी स्थान पर कार्यग्रहण कराने के आदेश पारित करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का कोई भी विपरीत प्रभाव कारण बताओ नोटिस के संबंध में की जा रही कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

4. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)